## कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक 2835 /का0ब0वि0प्रा0/2017 दिनांक 5-7-17

प्रताप सिंह गंगवार पुत्र श्री रामचरन लाल,
श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री सुरेश चन्द्र,
श्री असीम अली खॉन पुत्र श्री मोहम्मद युनुस अली,
श्रीमती सुमन भारती पत्नी श्री नत्थूलाल भारती,
श्रीमती सरोज भारती पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार व
श्रीमती नन्ही देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह
निवासी— 26 नगरिया परीक्षित गिरधरपुर, बरेली।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15-06-17 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या-208/02/एल0ओ0/15 में वांछित कुल देय धनराशि रूपये-1,06,19,313/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि रूपये-27,00,000/- को जमा कराकर अवशेष धनराशि रूपये-79,19,313/- को एक वर्ष की चार तिमाही किश्तों में वसूल किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त में अवगत कराना है कि कुल देयता रू0-1,06,19,313.00 पर दिनॉक-22-06-2017 तक विलम्ब अवधि 114 दिन का 18 प्रतिशत से रू0-5,97,009.00 विलम्ब ब्याज होता है। जिसको सम्मिलित करते हुए दिनॉक-22-06-2017 को कुल देयता रू0-(1,06,19,313.00+5,97,009.00) रू0-1,12,16,322.00 बनती है, इसमें से रू0-27,00,000.00 जमा कराने के उपरान्त शेष रू0-85,16,322.00 को पक्ष द्वारा एक वर्ष की चार तिमाही में प्राप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है, देय बकाया की किश्तो में वसूली शासनादेश दिनॉक-17-11-2014 के अनुसार ब्याज दर 12 प्रतिशत से 22 जून, 2017 के उपरान्त आगामी चार तिमाही किश्तों में प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

| क्रम | किश्त संख्या | देय दिनॉक | किश्त में मूलधन (A) | शेष बकाया पर ब्याज (B) | कुल किश्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22-09-2017 | 21,29,081.00 | 2,55,490.00 | 23,84,571.00 |
| 2 | 2 | 22-12-2017 | 21,29,081.00 | 1,91,617.00 | 23,20,698.00 |
| 3 | 3 | 22-03-2018 | 21,29,081.00 | 1,27,745.00 | 22,56,826.00 |
| 4 | 4 | 22-06-2018 | 21,29,081.00 | 63,873.00 | 21,92,954.00 |
| | | | योग | 6,38,725.00 | 91,55,049.00 |

उपरोक्तानुसार आगणित एक वर्ष की चार तिमाही किश्तों में भुगतान किए जाने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनॉक 04-07-17 के क्रम में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के साथ दी जाती है।

1. आपको देय धनराशि की सुनिश्चितता हेतु देय धनराशि रू0-85,16,322.00 के सापेक्ष समतुल्य मूल्य की बैंक गारन्टी अथवा विक्रय योग्य भूमि/भू भाग (क्षेत्रफल 1217.00 वर्गमी0) को प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखना होगा, जो सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी पर अवमुक्त की जा सकेगी।

C:\...\Pratap Singh gangwar.docx

2. आपको मानचित्र निर्गत से पूर्व आगामी चार तिमाही किश्तों में देय कुल किश्त धनराशि के समतुल्य राशि के प्राधिकरण के पक्ष में आहरण योग्य पोस्ट डेटेड चैक जमा कराने होगें, साथ ही इन चैकों के यथा समय प्राधिकरण के पक्ष में भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि यदि किसी भी कारण से पोस्ट डेटेड चैक का भुगतान नही हो पाता है और परिणाम स्वरूप प्राधिकरण द्वारा पक्ष के विरूद्व बैंकिंग तथा अन्य विधिक नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है, तो उसका स्वंय का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3. किसी भी किश्त धनराशि का भुगतान निर्धारित समय पर न होने पर नियमानुसार 15 प्रतिशत बिलम्ब ब्याज भी देय होगा।

4. आपको इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निर्धारित समय अवधि में धनराशि जमा न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति को निरस्त करते हुए स्थल पर हुए निर्माण/विकास कार्य के विरूद्व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही उन्हें स्वीकार होगी एवॅ इसके लिए किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नही करेगें।

5. विषम परिस्थितियों में प्राधिकरण को क्षति रहित रखने हेतु निर्धारित प्रारूप पर इण्डेमिनिटी बाण्ड प्रस्तुत करना होगा।

अधिशासी अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।